21/5/18

आज यह दावा राजस्व लोक अदालत अभियान
के तहत आपके द्वारा कोर्ट-धौलपुर में पेश
हुवा। कोर्ट के नोटिस पर रामकिशन एवं
उनकी पत्नी भजनी आदि के वादिनी
रामेश्वरी द्वारा निवेदन किया कि यह दावा
दरखास आगे नहीं चलाना चाहती है।
अतः दावा इसी स्टेज पर खारिज किया
जाता है। पक्षकारों को मालूम होकर
बाद तामील दावा खारिज का हुक्म
सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार-2018

तहसील बाड़ी जिला-धौलपुर राज० ---- तरीखी प्रतिवादी गण